© BSTBPC
WEBCOPY, NOT TO BE PUBLISHED

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन

भाग—1

कक्षा–6

© BSTBPC
WEBCOPY, NOT TO BE PUBLISHED
Developed by : Mridul Solutions. www.absol.in

(राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार द्वारा विकसित)

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के सौजन्य से सम्पूर्ण बिहार राज्य के निमित्त ।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत
पाठ्य–पुस्तकों का निःशुल्क वितरण।
क्रय–विक्रय दण्डनीय अपराध।

© बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

सर्व शिक्षा अभियान : 2013–14–20,81,455

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाठ्य–पुस्तक भवन, बुद्धमार्ग, पटना–800 001 द्वारा प्रकाशित तथा पुजा प्रिन्टेक प्रा. लि., पटना–800013 द्वारा एच.पी.सी. के 70 जी.एस.एम. क्रीम वोभ टेक्स्ट पेपर (वाटर मार्क) एवं एच.पी.सी. के 130 जी.एस.एम. ह्वाइट (वाटर मार्क) आवरण पेपर पर कुल 20,81,455 प्रतियाँ 24 x 18 सेमी साईज में मुद्रित।

प्राक्कथन

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्णयानुसार अप्रैल, 2009 से प्रथम चरण में राज्य के कक्षा IX हेतु नए पाठ्यक्रम को लागू किया गया। इस क्रम में शैक्षिक सत्र 2010–11 के लिए वर्ग I, III VI एवं X की सभी भाषायी एवं गैर भाषायी पाठ्य–पुस्तकें नए पाठ्यक्रम के अनुरूप लागू की गयीं। इस नए पाठ्यक्रम के आलोक में एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली द्वारा विकसित वर्ग X की गणित एवं विज्ञान तथा एस0सी0ई0आर0टी0, बिहार, पटना द्वारा विकसित वर्ग I, III, VI एवं X की सभी अन्य भाषायी एवं गैर भाषायी पुस्तकें बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक निगम द्वारा आवरण चित्रण कर मुद्रित की गयीं । इस सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शैक्षिक सत्र 2011–12 के लिए वर्ग II, IV एवं VII तथा शैक्षिक सत्र 2012–13 के लिए वर्ग V एवं VIII की नई पाठ्य–पुस्तकें बिहार राज्य के छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध करायी गयीं । साथ–ही–साथ वर्ग I से VIII तक की पुस्तकों का नया परिमार्जित रूप भी शैक्षिक सत्र 2013–14 के लिए एस0सी0ई0आर0टी0, बिहार, पटना के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

बिहार राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री, श्री पी0के0 शाही एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, श्री अमरजीत सिन्हा के मार्ग दर्शन के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं ।

एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली तथा एस0सी0ई0आर0टी0, बिहार, पटना के निदेशक के भी हम आभारी हैं जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया ।

बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों की टिप्पणियों एवं सुझावों का सदैव स्वागत करेगा, जिससे बिहार राज्य को देश के शिक्षा जगत में उच्चतम स्थान दिलाने में हमारा प्रयास सहायक सिद्ध हो सके ।

जे०के०पी० सिंह, भा०रे०का०से०

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लि०

© BSTBPC
WEBCOPY, NOT TO BE PUBLISHED

दिशाबोध-सह-पाठ्यपुस्तक विकास समन्वय समिति

- **श्री राहुल सिंह,** राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना
- **श्री रामशरणागत सिंह,** संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
  विशेष कार्य पदाधिकारी,
  बी.एस.टी.बी.पी.सी., पटना
- **श्री अमित कुमार,** सहायक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार सरकार
- **डॉ. श्वेता सांडिल्य,** शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, पटना
- **श्री हसन वारिस,** निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- **श्री मधुसूदन पासवान,** कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना
- **डॉ. एस.ए. मुईन,** विभागाध्यक्ष एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- **डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी,** प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट, हाजीपुर
- **डॉ. उदय कुमार उज्ज्वल,** अपर कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना

पाठ्य–पुस्तक विकास समिति

विषय विशेषज्ञ

श्री अरविन्द सरदाना, एकलव्य, देवास, मध्यप्रदेश

लेखक सदस्य

- **श्रीमती नाहिदा प्रवीण**
  शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय,
  खतरी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर
- **श्री कात्यायन कुमार त्रिपाठी,** शिक्षक प्रा०वि० चैलीटाल, स्लम, गुलजारबाग, पटना
- **श्री ओम प्रकाश,** शिक्षक, धनेश्वरी देवनन्दन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, दानापुर, पटना
- **श्री विकास कुमार राय,** शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, श्रीकान्तपुर, राजपुर, बक्सर
- **श्री आशीष कुमार,** शिक्षक, राजकीयकृत उच्च विद्यालय, बीर ओईयारा, पटना
- **डॉ० श्रवण कुमार सिंह,** शिक्षक, सर जी.डी. पाटलीपुत्र उ० मा० विद्यालय, कदमकुआँ, पटना
- **श्री त्रिपुरारी कुमार,** शिक्षक मध्य विद्यालय, बड़का डुमरा, भोजपुर
- **श्री आफताब आलम,** मध्य विद्यालय, सारंग, भोजपुर
- **श्री प्रवीण कुमार,** शिक्षक मध्य विद्यालय, खोनहा, सत्तर कटैया, सहरसा

समन्वयक

- **डॉ० (श्रीमती) रीता राय,** व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना

समीक्षक

- **श्री विजय कुमार सिंह,** शिक्षक, एफ.एन. एस. एकेडमी, पटना
- **डॉ० तुलिका प्रसाद,** व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, बाढ़, पटना

आरेखन

- **श्री सदानन्द सिंह**

आभार : यूनिसेफ, बिहार

WEBCOPY, NOT TO BE PUBLISHED
© BSTBPC

आमुख

प्रस्तुत पुस्तक ''सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन'', भाग–1, कक्षा–6 भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा –2005 तथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार द्वारा एन.सी.एफ.–2005 के सिद्धांत, दर्शन तथा शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर विशिष्ट रूप से ग्रामीण क्षेत्र को संदर्भ में रखते हुए बिहार पाठयचर्या की रूपरेखा –2008 तथा तदनुरूप पाठ्यक्रम के आधार पर बिहार राज्य के शिक्षक समूह के साथ चरणबद्ध कार्यशाला में समय–समय पर विद्याभवन सोसाइटी, उदयपुर, राजस्थान के साधन सेवी, विषय विशेषज्ञ एवं शिक्षाविदों के साथ मिलकर निर्माण किया गया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास अर्थात् शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं अभ्यास क्षमताओं पर ध्यान दिया गया है। बच्चों में करके सीखने तथा खोजी भावना का विकास करने तथा आपस में मिल जुलकर सीखने की प्रवृत्ति का विकास करके उनको जिम्मेवार नागरिक बनाया जाय, जिससे देश की धर्म निरपेक्षता, अखंडता एवं समृद्धि के लिए कार्य करे तथा संविधान की प्रस्तावना की पूर्ति हो, ऐसा विद्यालीय शिक्षा के क्रम में पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक में ध्यान रखा गया है। पाठ्य–पुस्तक के सभी अध्याय रोचकपूर्ण है । पाठ्यपुस्तक में दिये गये विषय वस्तु विद्यार्थियों के दैनिक अनुभव पर आधारित हो, ऐसा प्रयास किया गया है। अध्यायों में कहानी के माध्यम से पाठ को रोचक बनाने का प्रयास किया गया है, जो अपने आप में नवाचार है। कहीं–कहीं ऐसे सन्दर्भित प्रश्न हैं, जिनसे बच्चों में कौतुहलता एवं जिज्ञासा बढ़ेगी।

पाठ्यपुस्तक के माध्यम से बच्चे तथा शिक्षक के बीच शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल–केन्द्रित तथा सीखना बिना बोझ के अर्थात् सुगम एवं आनन्ददायी शिक्षण हो, ऐसा प्रयास किया गया है, इसलिए पाठ्यपुस्तक के सभी अध्यायों के विषय वस्तु में जगह–जगह क्रियाकलाप अर्थात् गतिविधि तथा प्रयोग का वर्णन है। पुस्तक के अधिकांश क्रियाकलाप बिना किसी सामग्री या कम लागत की सामग्री के साथ करवाये जा सकते हैं। शिक्षण जितना गतिविधि आधारित होगा, बच्चों को सक्रिय बनाने वाला होगा तथा बच्चों को उतना ही अधिक आनन्द आएगा और वे उतनी ही अच्छी तरह दक्षताओं को प्राप्त कर सकेंगे। इस कार्य में शिक्षक की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में पर्याप्त प्रश्न तथा अधिकांश अध्याय में परियोजना कार्य भी दिये गये हैं जिनसे की छात्र की उपलब्धियों की जाँच हो सके।

इस पाठ्य–पुस्तक के निर्माण में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना का सराहनीय सहयोग रहा है। प्रस्तुत पाठ्य–पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करने के पूर्व राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना के संकाय सदस्यों, विषय विशेषज्ञों तथा अन्य संस्थानों यथा विद्या भवन सोसाइटी, उदयपुर (राजस्थान), एन.सी.ई.आर.टी. दिल्ली के साधन सेवियों के साथ मिलकर काफी गहन चर्चा के बाद पुस्तक की पाण्डुलिपि का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम, विद्या भवन सोसाइटी, एकलव्य, मध्यप्रदेश द्वारा विकसित पुस्तकों के साथ अनेक प्रकाशनों की पुस्तकें, संदर्भ सामग्री के रूप में पाठ्य–पुस्तक को तैयार करने में उपयोगी साबित हुई। परिषद् इन सभी संस्थानों के प्रति आभार व्यक्त करती है। परिषद् यूनिसेफ, बिहार के सहयोग के लिए भी आभारी है। पाठ्यपुस्तकों का संशोधन, परिमार्जन व संवर्द्धन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। ज्ञातव्य है कि इस पुस्तक का प्रथम संस्करण जिसमें 'अर्थशास्त्र' की एक अलग पुस्तक थी, लेकिन बाद के शैक्षिक सत्र में विद्यालयों में अध्ययन–अध्यापन के क्रम में इस पुस्तक के संदर्भ में शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों से अनेक सकारात्मक सुझाव प्राप्त हुए। इसके साथ–साथ संकुल संसाधन केन्द्रों, प्रखण्ड संसाधन केन्द्रों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर भी परिचर्चाओं के क्रम में पुस्तक के संवर्द्धन हेतु बहुमूल्य रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुए। जिसमें बच्चों पर पुस्तकों का भार कम करने की दृष्टि से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अर्थशास्त्र को भी समाहित करने का सुझाव था। साथ ही संकल्पित रूप से विद्यालयों में ट्राईआउट के दौरान अपेक्षित संशोधन हेतु कई अनुभव प्राप्त हुए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एवं चरणबद्ध कार्यशालाओं में प्राप्त सुझाव एवं अनुभवों के अनुरूप पाठ्य–पुस्तक में संशोधन एवं परिमार्जन किया गया है। पाठ्यपुस्तक का संशोधित एवं परिमार्जित संस्करण राज्य के शिक्षार्थियों को समर्पित है।

अन्त में सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं शिक्षाविदों से आग्रह है कि पुस्तक को देखें–समझें–परखें और इसे बेहतर बनाने हेतु अपने अमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएं।

आपके सुझावों और विचारों की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

हसन वारिस (निदेशक)

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्,
बिहार, पटना–6

© BSTBPC
WEBCOPY : NOT TO BE PUBLISHED

हमारा संविधान

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न, समाजवादी, पंथ–निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त करने के लिए

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

NEBCOPY. NOT TO BE PUBLISHED
© RSTBRC
Downloaded by Model Solutions. www.absol.in

हमारा संविधान

हमारा मूल कर्त्तव्य

51 क. मूल कर्त्तव्य—भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—

(I) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें;

(ii) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;

(iii) भारत की प्रभुता, एकता और अंखडता की रक्षा करे और उन्हें अक्षुण्ण रखे;

(iv) देश की रक्षा करे और आह्वाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(v) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(vi) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उनका परिरक्षण करें;

(vii) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(ix) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।

1 [(xi) माता–पिता या संरक्षक, जैसी भी स्थिति हो, अपने उस बच्चे की, जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेगा।]

अनुक्रमणिका

अध्याय संख्या	अध्याय का शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	विविधता की समझ	01 – 12
2	ग्रामीण जीवन–यापन के स्वरूप	13 – 25
3	शहरी जीवन–यापन के स्वरूप	26 – 38
4	लेन–देन का बदलता स्वरूप	39 – 50
5	हमारी सरकार	51 – 60
6	स्थानीय सरकार	61 – 76

© BSTBPC
WEBCOPY, NOT TO BE PUBLISHED

© RSTBPC
WEBCOPY, NOT TO BE PUBLISHED
Developed by : Abdiel Solutions, www.absol.in

अध्याय-1

विविधता की समझ

जब हम लोग अपनी कक्षा, आस–पड़ोस पर नजर दौड़ाते हैं, तो हमारे समान कोई नहीं दिखता। आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते? हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है। रंग–रूप, रहन–सहन, खान–पान, वेश–भूषा, जीवन–यापन, भाषा एवं त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएँ हैं। कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों के रंग–रूप, वेश–भूषा, शारीरिक आकार आदि में जो भिन्नताएँ दिखती हैं वह आपकी कक्षा को विविधता प्रदान करते हैं।

© BSTBPC
WEBCOPY. NOT TO BE PUBLISHED

मित्रता

निशान अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आशियाना मोड़ के रामनगरी मुहल्ले में रहता था। इसी सड़क पर उसके पिता की एक किराना की दुकान थी। निशान पास के ही एक मध्य विद्यालय का छात्र था। कभी–कभी वह अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बंटाता था। उस दुकान पर पास के ही एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बात करता देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती कि वह भी अंग्रेजी में बात करे। एक दिन वे लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आये, उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा तो, उसने अपना नाम 'निशान' बताया। अरे देखो! अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा, 'इसका भी नाम निशान है।' दोनों निशान एक दूसरे से परिचय प्राप्त किये । एक निशान पांचवीं कक्षा का छात्र था तो दूसरा निशान जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की तो बड़े निशान ने

उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। इसी प्रकार दोनों निशान आपस में काफी घुल–मिल गये एवं खाली समय में बड़े निशान अपने छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहाँ निशान अहमद को हिन्दी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वहीं निशान मगही एवं हिन्दी बोलता था। कुछ दिनों के बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हुई और वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। बड़े निशान के दिल्ली चले जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद है।

प्रश्न– निशान और निशान अहमद में दो या तीन अन्तर कौन–कौन से हैं?

दोनों की उम्र और पढ़ाई–लिखाई में भी अंतर है। एक निशान पांचवीं कक्षा का छात्र है वहीं निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग है। जहाँ निशान अहमद किशनगंज का एक मुसलमान है, वहीं निशान पटना का एक हिन्दू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि, खान–पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग–रूप, आकार आदि विभिन्नताएँ होते हुए भी दोनों मित्रता के एकसूत्र में बंधे हुए थे ।

प्रश्न– उन त्योहारों की सूची बनाइए जो निशान अहमद एवं निशान मनाते होंगे।

विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है–

जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने ठीक वैसे ही आपके भी साथी होंगे जो आपसे कुछ अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ त्योहार मनाये होंगे, उनका रहन–सहन एवं थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी।

इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान–पान में भी अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी–चोखा पसन्द करते हैं वहीं पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों की साग बहुत पसन्द करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्रप्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसन्द करते हैं।

इन राज्यों का प्रमुख व्यंजन निम्न प्रकार के हैं–

बिहार का लिट्टी–चोखा

बंगाल का मछली–चावल

दक्षिण भारत का प्रसिद्ध इडली–डोसा

दक्षिण भारतीय थाली

गुजराती थाली

शिक्षक की सहायता से बिहार के अलग–अलग जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों की एक सूची तैयार करें।

इतना ही नहीं विभिन्न राज्यों के रीति–रिवाज और त्योहारों में भी भिन्नता होती है। जहाँ बिहार का एक मशहूर पर्व छठ है, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव एवं केरल का ओणम है। वहीं झारखण्ड में सरहुल पर्व मनाया जाता है।

बिहार का छठ पर्व

झारखण्ड के सरहुल मनाते लोग

केरल में ओणम के अवसर पर नौका दौड़

पंजाब में लोहड़ी पर्व मनाते लोग

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग–अलग खान–पान, वेश–भूषा, रीति–रिवाज एवं पर्व–त्योहार विविधता को दर्शाते हैं।

बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग–अलग भाषाएँ बोलते हैं। अनेक प्रकार का खाना खाते हैं। अलग–अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न–भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे– मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोल–चाल, खान–पान, रहन–सहन, रीति–रिवाज, त्योहारों इत्यादि से परिचित

होते हैं और एक–दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्हें एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है।

इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुम्बई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं तो वहां के स्थानीय लोगों की भाषा, रहन–सहन, रीति–रिवाज, खान–पान, त्योहार का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है।

प्रश्न– विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है ? शिक्षक के साथ चर्चा कर लिखें।

विविधता के प्रति सम्मान :

यह कहानी एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले चार मित्रों की है जो कक्षा नौ के छात्र है। इनके नाम नवीन, रफी, शालिनी एवं रॉबिन है। इनकी मातृभाषा भी अलग–अलग है। जहां नवीन हिन्दी बोलता है, वहीं रफी उर्दू शब्दों का प्रयोग ज्यादा करता है। शालिनी जहां पंजाबी बोलती है, वहीं रॉबिन की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग ज्यादा हुआ करता है। सबकी भाषा अलग होने के बावजूद सभी अच्छी हिन्दी बोल लेते हैं और आपस में अच्छे मित्र भी हैं।

मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। होली के दिन सभी नवीन के घर पहुंचे। नवीन और उसके माता–पिता ने बच्चों का जोरदार स्वागत किया। सभी बच्चों ने मिल–जुल कर रंग खेला एवं एक –दूसरे को अबीर–गुलाल लगाया। अंत में नवीन की मां ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा। सामने तरह–तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। इसी प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहां पहुंचे।

रॉबिन के घर की सजावट देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। रात में सभी ने ''क्रिसमस ट्री'' को छोटे–छोटे बल्बों से सजाया एवं सबने मिलकर केक एवं पेस्ट्री का मजा लिया। खाने

के बाद बच्चों ने नाच–गान का आनंद लिया। अगली सुबह नास्ते पर रॉबिन के पिताजी ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग–अलग मातृभाषा बोलते हैं। पर सभी एक–दूसरे का सम्मान भी करते हैं। हमारा त्योहार क्रिसमस भी यही संदेश देता है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो सभी लोग एक–दूसरे से मिल–जुल कर इस त्योहार का आनंद लेते हैं।

राजगीर भ्रमण

प्रश्न–

1. **अपने माता–पिता या शिक्षक की सहायता से एक कहानी लिखें जो विविधता में एकता को दर्शाती है।**
2. **आप गर्मी के छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों?**

लगभग दो साल पहले की बात है मध्य विद्यालय सारंगपुर, जिला–भोजपुर के बच्चे एक बार भ्रमण के लिए राजगीर गए। जब विद्यालय के बच्चे वेणुवन पहुंचे तभी वहां एक दूसरा परिभ्रमण दल आया जो मध्य विद्यालय नौहट्टा जिला सहरसा के थे। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बात करते हुए घूम रहे थे। तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा से आए हुए बच्चों की ओर गया जो आपस में बात कर रहे थे, परन्तु उनकी बात उसे समझ में नहीं आई। वह अपने एक साथी के साथ दूसरे दल के एक बच्चे के पास गया और पूछा– आप कौन–सी भाषा बोल रहे हैं? दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया– मैं सहरसा जिले का हूं और मेरी मातृभाषा मैथिली है। दोनों दल के बच्चे एक साथ हिन्दी में बात करते हुए घूमने लगे। दोनों बच्चों के बीच आपस में काफी मित्रता हो गई। जब बच्चे जलपान के लिए अपने–अपने शिक्षकों के साथ बैठे, तो उन्होंने बताया कि दूसरा दल जो हम लोगों के साथ घूम रहा था, उनकी मातृभाषा मैथिली है।

फिर शिक्षक महोदय ने बताया हमारे राज्य बिहार में न सिर्फ हिन्दी बल्कि भोजपुरी,

मगही, मैथिली, अंगिका एवं वज्जिका इत्यादि भाषाएँ भी बोली जाती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। हम लोग बहुभाषी हैं। आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आसानी से सम्पर्क हो जाता है एवं अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग भाषाओं में कामकाज भी किया जाता है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है।

शिक्षक की मदद से तालिका को भरें :

क्र.सं.	राज्य का नाम	बोली जाने वाली भाषाएं
1	बिहार	
2	उत्तर प्रदेश	
3	पंजाब	
4	कर्नाटक	
5	तमिलनाडु	
6	केरल	
7	पश्चिम बंगाल	
8	उड़ीसा	
9	मणिपुर	
10	आसाम	
11	गुजरात	
12	महाराष्ट्र	

भेदभाव एवं असमानता

ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने यह भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परन्तु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिससे हमें दुःख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते हैं एवं दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेद–भाव एवं

असमानता देखने को मिलती है। ये भेद–भाव, अमीर–गरीब, पढ़े–लिखे और अनपढ़, सवर्णों एवं दलितों, महिलाओं और पुरुषों का हो सकता है।

रामजीवन की कहानी

रामजीवन सुपौल जिला के सुखपुर गाँव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। विवाह के 10 वर्षों के पश्चात् उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। रामजीवन की चाह तो बेटे की थी पर बेटी पाकर भी वे संतुष्ट थे। बेटे की चाह में एक वर्ष बाद पुनः बेटी ही होती है। दो बेटियाँ होने के कारण वह काफी चिन्तित रहने लगा। बेटे की चाहत में वह मंदिरों – मस्जिदों में हाथ जोड़ने और मन्नतें मांगने लगा। इसी तरह पाँच वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। खुशी के मारे उसने पूरे गाँव में भोज की व्यवस्था की। गुजरते समय के साथ माता–पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन–सहन,खान–पान, पहनावा, खेलकूद आदि पर विशेष ध्यान देते थे। जबकि बेटियों से घर का सारा काम (जैसे–भोजन पकाना, चौका–बर्तन, झाड़ू–पोछा आदि काम) करवाया जाता था। बेटियाँ इन कामों के अलावे पढ़ाई पर खुद से ध्यान देतीं थीं। वहीं बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी और साथ में ही उसे घर पर शिक्षक आकर पढ़ाया करते थे। परन्तु, वह पढ़ाई के बदले खेल–कूद, लड़ाई–झगड़ा किया करता था। इस तरह हमने देखा कि रामजीवन बेटियों की अपेक्षा बेटा को ज्यादा महत्व देता था। वह बेटा एवं बेटी में भेदभाव करता था, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नजर अंदाज करते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहरायें हैं।

प्रश्न– क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए ?

ऊपर की कहानी लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है परन्तु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव ही है बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य, सवर्णों एवं दलितों के साथ–साथ अमीर और गरीब के बीच अंतर की घटनाएँ भी हमें देखने को मिलती है। आपने भारतरत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना होगा आइए उनके बारे में जानते हैं–

डॉ. भीमराव अंबेडकर (1891–1956) का जन्म महार जाति में हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी।

डॉ. अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैण्ड गए। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल–कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग–अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किये जा रहे थे, उनका डॉ. अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो। लम्बे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रिया–कलापों से वंचित रखा गया। यहाँ तक की उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। महात्मा गाँधी, डॉ0 अंबेडकर, ज्योतिबा फूले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है, जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है :–

डॉ० अंबेडकर

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त करने के लिए

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

प्रश्न–

1. क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है ? उदाहरण के साथ बताइए।
2. अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आपने इस स्थिति में उसकी मदद करने का प्रयास किया ?
3. आपकी समझ से इस समाज में किस प्रकार के भेदभाव होते हैं ?
4. समाज में भेदभाव क्यों होता है ?

कविता

लहू का रंग एक है

लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या
बने हैं एक खाक से, दूर क्या करीब क्या
वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे
पहन के रेशमी लिबास, तुम बदल ना जाओगे
सभी हैं एक जाति हम, सवर्ण क्या अवर्ण क्या
लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या
जी एक हैं तो फिर न क्यों, दिलों का दर्द बांट लें
जिगर का दर्द बांट लें, लबों का प्यार बांट लें
खता है सब समाज की, भले–बुरे नसीब क्या
लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या
कोई जने हैं मर्द, तो कोई जनी है औरतें
शरीर में भले हो फर्क, रूह सबकी एक है
एक है जो हम सभी, विषमता की लकीर क्या
लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या।

अभ्यास

1. किस आधार पर आप कह सकते हैं कि रामजीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था?
2. व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं के कौन–कौन से आधार हैं?
3. भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है?
4. आपके विचार से बिहार की विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है?
5. आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, उसे कैसा महसूस होता है?
6. दो व्यक्तियों के चित्र एकत्र करें जिन्होंने भेद–भाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किया है।
7. पाँच लड़कियों के नाम एकत्र करें जिन्होंने अपने देश का नाम रौशन किया है।

© BSTBPC
WEBCOPY, NOT TO BE PUBLISHED

अध्याय-3

शहरी जीवन-यापन के स्वरूप

शहर

हमने पिछले अध्याय में ग्रामीण जीवन–यापन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जाना है। गाँव के लोग कौन–कौन से कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इस अध्याय में हम शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन–यापन के बारे में जानेंगे।

भारत में पाँच हजार से ज्यादा शहर और कई महानगर हैं। इन महानगरों में दस लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में जिन्दगी कभी रुकती नहीं। चलो, एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं? क्या वे नौकरी करते हैं या अपने व्यवसाय में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं?

यह बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं। यह बहुत बड़ा शहर है। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ। लेकिन रहने का मौका बहुत ही कम मिलता है। यहाँ मेरे मामा रहते हैं। एक बार मेरे ममेरे भाई–बहन के बहुत जिद करने पर मैं यहाँ रुक गई। तब मुझे पटना शहर और वहाँ के लोगों को जानने का मौका मिला।

फुटपाथ, पटरी पर काम करने वाले–

हम सुबह ही घर से निकल गए थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफी चहल–पहल थी। सब्जी एवं फल बेचने वाले अपने ठेले पर सब्जी एवं फल सजा रहे थे। तो वहीं सब्जी और फल वाला घर–घर बेचने के लिए अपना ठेला लिए जा रहा था। वहीं एक महिला बेचने के लिए टोकरी में कुछ पूजा सामग्री लेकर बैठी थी।

फुटपाथ

अखबार विक्रेता

चर्मकार

नाई

सड़क के दूसरी तरफ एक व्यक्ति टेबल पर कई तरह के अखबार रखकर बेच रहा था। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, तो कुछ लोग खरीद कर ले जा रहे थे।

ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरा हुआ हार्न बजाता हुआ गुजर रहा था। पास में एक पेड़ था जिसके निकट एक मंदिर था। पेड़ के नीचे मोची अपने टिन के बक्से से सामान निकाल रहा था। पास में एक नाई अपना काम शुरू कर चुका था। थोड़ी दूर पर एक सैलून था जहाँ कुछ नौजवान दाढ़ी बनवाने एवं केश कटाने के लिए जा रहे थे। सड़क के किनारे बैठा नाई कम ही पैसे में दाढ़ी बना देता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक व्यक्ति ठेला पर तरह–तरह के बर्तन जैसे

थाली, कटोरी, चायछन्ना, कप आदि बेच रहा था जिसे हमलोग प्रायः इस्तेमाल करते हैं। ये सभी लोग स्वरोजगार में लगे हुए हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है। उन्हें अपना काम स्वयं ही संभालना पड़ता है। वे स्वयं योजना बनाते हैं कि किन–किन चीजों को बेचे, माल कितना खरीदें, कहाँ से खरीदें अपनी दुकान कहाँ लगाए? उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी वे सड़क के किनारे चादर या चटाई बिछाकर दुकान लगा लेते हैं तो कभी खम्भों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा कर दुकान लगाते हैं। ये रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं, इनकी कमाई कम होती है। इनकी आय मजदूरों जैसी है पर ये अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इन सभी व्यापारी को **पटरी वाला व्यापारी** कहा जाता है। ये व्यापारी सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रखकर अपना सामान बेचते हैं। ये अपनी दुकान ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहाँ खूब भीड़ रहती है। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएँ दैनिक उपयोग की होती है। ग्राहकों के लिए इनसे सामान खरीदना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी हम कहीं आते–जाते हैं तो प्रायः ये रास्ते के किनारे ही बैठे होते हैं और बिना अधिक समय व्यय किए हम आसानी से मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। ठेलेवाले जो चीजें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवारवाले बनाते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर गुप–चुप, समोसे, चाट, भुंजा आदि। यह ज्यादातर घर पर ही तैयार किया जाता है।

इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। पुलिस या नगर निगम वाले इन्हें तंग भी करते हैं। उनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है।

हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग एक करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। बहुत सी जगहों पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। लेकिन कुछ संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पायेगा।

प्रश्न –

1. किन आधारों पर कहेंगे कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगार में लगे होते हैं?

2. अपने आस–पास के फुटपाथ पर फल की दुकान लगाने वाले किसी व्यक्ति से पूछ कर बताओ कि उसकी दिनचर्या जैसे वह फल कहाँ से एवं कब खरीदता है?वह सुबह दुकान कब लगाता है? शाम को दुकान कब उठाता है? यानी वे दिन भर में कितने घंटे काम करते हैं? इस काम में उनके परिवार के सदस्य क्या मदद करते हैं?

चलते–चलते मैं थक गई और मैं बाजार जाने के लिए उस जगह पर आ गई जहाँ रिक्शेवाले कतार में खड़े होकर सवारी का इन्तजार कर रहे थे। हमने एक रिक्शे वाले को बाजार जाने के लिए तय किया।

श्यामनारायण

एक रिक्शाचालक

रिक्शा चालक

गाँव से काफी लोग काम की तलाश में शहर आते हैं। उसी में से श्यामनारायण भी एक है। वह भभुआ जिले का कृषक मजदूर है। उसके पास जमीन नहीं है। गाँवों में साल भर खेती में मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है। ये फसल के कटाई–बुवाई के समय गाँवों में काम करते हैं। इस काम से जो कमाई होती है उससे परिवार का खर्च नहीं चल पाता है। इसलिए जब खेतों में काम नहीं मिलता है तो ये शहर आकर रिक्शा चलाते हैं। यह इनका प्रतिदिन का काम है किन्तु तबीयत खराब होने की स्थिति में कमाई नहीं हो पाती।

ये रैन–बसेरा में रात गुजारते हैं। रोज 150–200 रु. इनकी कमाई होती है। अगर इनका अपना रिक्शा नहीं होता है तो ये रिक्शा का भाड़ा प्रतिदिन 30–35 रु. रिक्शा मालिक को देते हैं। प्रतिदिन 60–70 रु. खाने एवं अन्य जरूरतों में खर्च हो जाते हैं। बाकी पैसा ये परिवार के लिए बचा लेते हैं। 20–25 दिनों पर एकबार परिवार से मिलने गाँव भी चले जाते हैं। इसी पैसे से परिवार का जीवन–यापन चलता है। कभी–कभी इनके घर की महिलायें भी मजदूरी करके कुछ कमा लेती हैं।

रैन बसेरा

प्रश्न–

1. **श्यामनारायण कुछ समय शहर में एवं कुछ समय गाँव में रहता है। क्यों?**
2. **श्यामनारायण रैन–बसेरा में क्यों रहता है?**

बाजार में :

जब हम बोरिंग रोड बाजार पहुँचे तो दुकानें खुलनी शुरू ही हुई थीं। लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान, मिठाई आदि की दुकानों की लम्बी कतार थी। हमलोग एक रेडिमेड कपड़े के शोरूम में गए। वहाँ से मुझे कुछ कपड़े लेने थे। यह तीन मंजिला शोरूम था और हर मंजिल पर अलग प्रकार के कपड़े थे। बाजार में ही एक–दो डॉक्टर की क्लीनिक भी थी। वहाँ भी लोगों की भीड़ थी।

बहुमंजिला दुकान

कपड़े का दुकान

बड़ी दुकान में

मैं अपने मामा जी के साथ एक बड़ी दुकान में पहुंची और वहाँ बैठे दुकानदार से बात करना शुरू किया एवं उसके बारे में जानना चाहा।

प्रमोद– पहले मेरे पिता जी व चाचा एक छोटी सी दुकान चलाते थे। रविवार और त्योहारों के अवसर पर मैं अपनी माँ के साथ उनकी मदद करता था। अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने भी काम करना शुरू किया। इस समय मैं अपनी पत्नी अंशु के साथ यह शोरूम चलाता हूँ।

अंशु–हमने कुछ सालों पहले यह शोरूम खोला है। मैं ड्रेस डिजायनर हूँ। मैं इसके साथ बुटिक भी चलाती हूँ। मैं इसी की पढ़ाई की हूँ। आजकल युवावर्ग तथा बच्चे आकर्षक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसको ध्यान में रखकर हमने रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजाकर यह शोरूम खोला।

हम अपने शोरूम के लिए माल दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद से मंगवाते हैं। कभी–कभी कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाते हैं। शोरूम के प्रचार–प्रसार के लिए हम विज्ञापन भी देते हैं। इससे हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इससे हमारा जीवन–स्तर ऊँचा हो गया है। हमने एक कार भी खरीदी है और एक मकान भी बनवाया है जो बाजार से कुछ दूरी पर है।

प्रमोद और अंशु जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में अपनी दुकानें चलाते हैं। ये दुकानें छोटी–बड़ी हैं और लोग अलग–अलग चीजें बेचते हैं। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरों की नौकरी नहीं करते बल्कि दूसरों को नौकरी पर रखते हैं। जैसे मैनेजर, सहायक, गार्ड, साफ–सफाई के लिए कर्मचारी आदि। कुछ लोग दुकान किराए पर लेते हैं। इन्हें दुकान का मालिक कभी भी दुकान खाली करने या किराया बढ़ाने के लिए कह सकता है। इनकी सुरक्षा अपनी दुकान वालों से कुछ कम होती है लेकिन इनकी भी कमाई अच्छी होती है।

ये दुकाने पक्की होती हैं। इनके पास नगर निगम के लाईसेंस होते हैं। नगर निगम के अनुसार इनकी दुकान सप्ताह में एक दिन बंद होती है। उदाहरण के लिए कुछ बाजार की दुकानें रविवार को, कुछ सोमवार को, तो कुछ मंगलवार को बंद रहती है। इन बाजारों में छोटे–छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो कुरियर, पीसीओ(फोन), फोटोस्टेट आदि की सुविधाएँ देती हैं।

प्रश्न –

1. **जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अन्तर है?**
2. **प्रमोद और अंशु ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए कौन–कौन से कार्य करने पड़ते हैं?**

फैक्ट्री में :

मुझे हाथों की कढ़ाई वाला एक चादर खरीदना था। मेरी बहन ने कहा चलो मैं तुम्हें आकांक्षा के पास ले जाती हूँ। वो बहुत अच्छी कढ़ाई करती है और इसी तरह की एक फैक्ट्री (कपड़ा मिल) में काम भी करती है। यह फैक्ट्री शहर के एक कोने पर था। हम लोगों ने कुछ दूरी रिक्शा से तय किए। स्टैण्ड से बस लेकर फैक्ट्री के लिए चले। बस में काफी भीड़ थी। उस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग इसी बस पर थे। कुछ देर बाद बस एक मोड़ पर ठहर गई।

मोड़ पर बहुत सारे लोगों का झुंड दिखाई दे रहा था। उनमें से कुछ खड़े थे और कुछ दुकान के बाहर बैठे थे। कुछ लोग स्कूटर, मोटरसाइकिलों पर सवार होकर इनसे बातचीत कर रहे थे। मेरी बहन ने बताया कि यह 'लेबर चौक' है, ये प्रतिदिन काम करने वाले मजदूर या मिस्त्री है। कुछ, जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ, घरों या दुकानों में रंगाई पुताई का भी काम करते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाईन और पानी की पाईप के लिए खुदाई का काम करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे काफी अनियमित मजदूर शहर में है।

लेबर चौक

कुछ देर में हम लोग फैक्ट्री पहुंच गये। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ इस

काम में बहुत सारे लोग लगे हुए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस काम में इतने लोग लगे हुए होंगे। छोटे–छोटे काम व्यक्तियों में बंटे हुए थे। यहां हाथ और मशीन दोनों से यह काम हो रहा था। कुछ लोग नाप कर कपड़े काट रहे थे कुछ कढ़ाई कर रहे थे। कुछ उसमें डिजाइन छाप रहे थे, कुछ पैकिंग में लगे हुए थे।

जिस तरफ कढ़ाई का काम हो रहा था वहाँ हमलोगों ने नजर दौड़ाई तो आकांक्षा वहीं अपने काम में लगी हुई थी। जब मेरी बहन ने उसे आवाज दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरा परिचय पूछा। मैंने परिचय देते हुए आने का कारण बताया। वह हमलोगों को एक कमरे में ले गई जहाँ चादर तैयार करके रखी जाती थी। आकांक्षा ने मुझसे कुछ दिनों का समय मांगा और चादर पर कढ़ाई करने का वादा किया।

आकांक्षा चादर बनाने वाले एक बड़े कारखाने में काम करती है। जिस कारखाने में वह काम करती है वहाँ से चादर बड़े–बड़े थोक एवं खुदरा व्यापारियों के यहाँ जाता है। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर, कई शहरों में इनके चादर बेचे जाते हैं। दिसम्बर से अप्रैल तक आकांक्षा पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उस समय बाहर से इनके द्वारा बनाये गये सामान की मांग ज्यादा होती है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात के 8 बजे तक ही काम निपट पाता है। वह सप्ताह में छः दिन काम करती है किन्तु जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता है। उसे एक दिन काम करने के 100 रु. मिलते हैं और अतिरिक्त 50 रु. देर तक काम करने का मिलता है। कुछ ही कारीगर ऐसे हैं जिन्हें स्थाई रूप से रखा जाता है। आकांक्षा जैसे बहुत सारे कारीगर को बरसात में कार्यमुक्त कर दिया जाता है। करीब तीन से चार महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है।

आकांक्षा की तरह बहुत सारे लोग इस कारखाने में व अन्य जगहों पर हैं जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता। ये अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं, इन्हें बचे हुये समय में दूसरा काम ढूँढ़ना पड़ता है। ऐसे लोगों की नौकरियाँ स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है।

प्रश्न –

1. **आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं?**
2. **आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं। ऐसा क्यों है?**

दफ्तर में :

दूसरे दिन मैं अपनी मामी से मिलने उनके कार्यालय में गई। मेरी मामी बैंक में कार्यरत है। वह वहाँ शाखा प्रबंधक (ब्रांच मैनेजर) हैं। उन्होंने कहा था कि शाम में साढ़े पाँच बजे से पहले मेरे बैंक पहुँच जाना। बैंक ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी–बड़ी इमारत थी। शॉपिंग कम्पलेक्स भी थे। कार पार्किंग भी थी। मामी सप्ताह में छः दिन काम पर जाती है।

बैंक

प्रतिदिन वह साढ़े नौ बजे काम पर जाती और साढ़े पाँच बजे वापस आती हैं। कभी–कभी वह अपना काम घर पर भी निपटाती हैं। वह एक स्थायी कर्मचारी है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं।

बुढ़ापे के लिए बचत– उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है। इस

बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत होने पर यह पैसा मिल जाता है। सेवानिवृति के बाद भी नियमित पेंशन सरकार देती है।

अवकाश – रविवार और अन्य पर्व–त्योहारों में छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं।

परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएँ – सरकार एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज का खर्च उठाती है।

इस तरह के कई कर्मचारी हैं जो किसी कंपनी में या किसी सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, जैसे–सचिवालय, शिक्षा विभाग, दूरसंचार विभाग तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी आदि। यहाँ उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। उनका विभाग एवं कार्य तय होता है। उनको समय पर वेतन मिलता है। काम नहीं होने पर भी उन्हें अनियमित मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता।

हम मामी के साथ उनकी कार में बैठ गए। कार घर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में मामी ने बताया कि हमें नई काम करने वाली (नौकरानी) मिल गई है। हमारे सहकर्मी के यहाँ भी वह काम करती है। उसका नाम सरला है।

सरला की तरह यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो घरों में अपनी सेवा देते हैं। ये दूसरे के घर जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, पोछा लगाना आदि काम करती है। इन्हीं में से कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस स्टैण्ड तक छोड़ने तथा लाने का काम करती है। इन्हें इनके मालिक महीने में पैसा देते हैं। विशेष परिस्थिति जैसे खुद बीमार पड़ने या परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर, शादी–विवाह, पर्व–त्योहारों के अवसर पर अतिरिक्त पैसा देते हैं। साल में एक दो बार इन्हें कपड़ा भी दिया जाता है।

घरेलू कामगार महिला

प्रश्न –

1. दूसरों के घरों में काम करने वाली एक कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए।
2. दफ्तर में काम करने वाली महिला और कारखाने में काम करने वाली महिला में क्या–क्या अन्तर है?
3. क्या भविष्यनिधि, अवकाश या चिकित्सा सुविधा शहर में स्थायी नौकरी के अलावा दूसरे काम करने वालों को मिल सकती है? चर्चा करें।

कुछ ही देर में गाड़ी घर पहुँची। लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक–दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है।

अभ्यास

1. **अपने अनुभव तथा बड़ों से चर्चा कर शहरों में जीवन–यापन के विभिन्न स्वरूपों की सूची बनायें।**
2. **अपने अनुभव के आधार पर नीचे दी गई तालिका के खाली स्थान को भरें :**

स्थान / व्यक्ति के नाम	प्राप्त होने वाले दो वस्तु या सेवाएँ
1. फुटपाथ या पटरी की दुकान	1.............................. 2..................................
2. बाजार की स्थायी दुकान	1.............................. 2..................................
3. फैक्ट्री	1.............................. 2..................................
4. घरेलू कामगार	1.............................. 2..................................
5. बैंक	1.............................. 2..................................

3. पटरी पर के दुकानदार एवं अन्य दुकानदारों की स्थिति में क्या अन्तर है?

4. एक स्थायी और नियमित नौकरी, अनियमित काम से किस तरह अलग है?

5. निम्नलिखित तालिका को पूरा करें :

नाम	काम की जगह	काम की सुरक्षा है या नहीं है	स्वयं का काम या रोजगार
श्यामनारायण			
प्रमोद और अंशु			
आकांक्षा			
सरला			

6. एक स्थायी एवं नियमित नौकरी करने वालों को वेतन के अलावा और कौन–कौन से लाभ मिलते हैं?

अध्याय-5

हमारी सरकार

हम अक्सर सरकार शब्द सुनते हैं। यह क्या है? सरकार क्या करती हैं? लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएँ हैं? इस अध्याय में इन सवालों के उत्तर ढूँढ़ने का प्रयास करेंगे।

कोशी का बांध टूटा, महाप्रलय की स्थिति, सरकार ने दिये जाँच के आदेश

बिहार के 26 जिलों को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया

इलाहाबाद उच्च न्यायलय में सफाई की जरूरत – सुप्रीम कोर्ट

70 हजार शिक्षक बहाल होंगे–मुख्यमंत्री

शिक्षक बनने के लिए अब देनी होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.)

मनरेगा में धांधली की जांच होगी–मंत्री

नवीं कक्षा के छात्र–छात्राओं को सरकार देगी साइकिलें

बिहार में खिलाड़ियों को मिलेंगी सरकारी नौकरियाँ

प्रश्न – ऊपर दिए गये अखबारों के मुख्य समाचार सरकार के किन–किन कार्यों को दर्शाते हैं? आपस में चर्चा करें।

सरकार क्या है?

विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं – सड़क और स्कूल कहाँ बनाये जाएँ, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुँचे, बहुत ज़्यादा महँगाई हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएँ अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ायी जाए आदि। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्त्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक–तार, फोन एवं रेल सेवाएँ चलाना आदि।

सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सूखा, बाढ़ या भूकंप तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है।

आखिर सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है? जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक सामूहिक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। इसके लिए कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं। कुछ ऐसे नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो।

लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। नियम या कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है। बनाये गये नियम एवं लिए गये निर्णयों को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के अंग हैं। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो समाधान के लिए लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। आगे की कक्षा में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।

प्रश्न

1. सरकार क्या–क्या काम करती है ? अपने शब्दों में समझाएँ।

2. सरकार के कुछ ऐसे कार्यों का उदाहरण दें जिसकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है।

सरकार के स्तर–

केन्द्र सरकार | **राज्य सरकार** | **स्थानीय सरकार**

भारत

बिहार

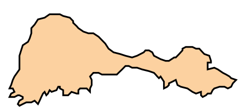

पटना

राज्य स्तर से तात्पर्य पूरे प्रदेश से है, जैसे– अपने बिहार राज्य में सरकार पूरे बिहार के लोगों के लिए काम करती है। ठीक उसी प्रकार झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की सरकार अपने प्रदेश के निवासियों के लिए कार्य करती है। केन्द्र सरकार देश के सभी राज्यों के विकास के लिए कार्य करती है। इस पुस्तक के अगले अध्याय में स्थानीय सरकार के स्वरूप एवं कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विस्तृत जानकारी आगे की कक्षाओं में मिलेंगी।

केन्द्र शासित प्रदेश

कुछ प्रदेशों पर केन्द्र का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है। ये प्रदेश केन्द्र शासित प्रदेश कहलाते हैं – चण्डीगढ़, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह आदि।

तालिका में दिये गये कथनों को देखें–क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित है?उनके आगे निशान लगाइए।	स्थानीय	राज्य	केन्द्र
1. बिहार सरकार का सभी लड़कियों को मुफ्त पोशाक देने का निर्णय।			
2. पश्चिम बंगाल की सरकार का बिहार से पटसन खरीदने का निर्णय।			
3. गाँव के एक सार्वजनिक कुएँ के स्थान को चुनने का निर्णय।			
4. फारबिसगंज तथा जम्मू के बीच में नई रेल सेवाएँ शुरू करने का निर्णय।			
5. पटना के बच्चों के लिए बड़ा–सा पार्क बनाने का निर्णय।			
6. बाढ़ के मुद्दे पर नेपाल से वार्ता का निर्णय।			
7. 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय।			

आपने मतदान के दिन वोट देने के लिए लोगों को पंक्तिबद्ध देखा होगा। लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं। ऐसी सरकार को **लोकतांत्रिक सरकार** कहते हैं। यह सरकार निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि हर बार एक ही दल की सरकार चुनी जाए। इस प्रकार सत्ता की शक्ति हमेशा जनता के हाथ में रहती है। लेकिन इससे अलग भी एक और सरकार होती है, जिसे **राजतंत्र** कहते हैं। राजतंत्र में सत्ता की सारी शक्ति राजा में निहित होती है। लोकतंत्र में जनता अपनी इच्छा से मताधिकार का

प्रयोग कर सरकार को चुनती है और उसे अपने किये गये कार्यों पर सफाई देनी होती है। जबकि राजतंत्र में राजा अपने वंश परम्परा से आते हैं। वे स्वयं निर्णय लेते हैं, जिनके लिए उन्हें कोई सफाई नहीं देनी पड़ती है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की प्रमुख बात यह है कि इसमें जनता अपना प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है। वही प्रतिनिधि शासन भी चलाते हैं। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग खुद सरकार में अपने प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं। लोकतंत्र में सभी वयस्क लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है।

प्रश्न 1. लोकतंत्र और राजतंत्र की तीन मुख्य अंतर को रेखांकित करें?

लोकतंत्र के विचार कैसे आएँ ?

हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेज़ों का शासन था जिसमें सरकार बिना लोक प्रतिनिधित्व के चलायी जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज की मांग की गई कि भारत के लोग खुद अपनी सरकार चला सकते हैं। वे अंग्रेजों के गुलाम नहीं बना रहना चाहते थे। कई वर्ष के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने देश के कुछ शिक्षित एवं सम्पत्तिशाली व्यक्तियों को मत के प्रयोग का अधिकार दिया था। देश के गरीबों, अशिक्षितों, औरतों एवं अभिवंचित वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्वतंत्रता–संग्राम के दौरान सभी लोग उसमें शामिल हुए और यह विचार, कि सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, बुलंद हुआ। इसी विषय में महात्मा गाँधीजी ने 1931 में 'यंग इंण्डिया' पत्रिका के माध्यम से कहा था, "मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास सम्पत्ति है, वह वोट दे सकता है – लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, पर सम्पत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता है। जो दिनभर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है।"

लोकतांत्रिक देशों में सभी महिलाओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की महिलाओं को कई संघर्ष करने पड़े। अमेरिका तथा पश्चिम

यूरोप में महिलाओं को पहले मताधिकार प्राप्त नहीं था। वहाँ वोट देने के अधिकार के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया। उन्होंने जगह–जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बाँध कर प्रदर्शन किया। वे जेल गयीं और भूख हड़ताल पर बैठीं। इस प्रकार पूरे विश्व में महिलाओं को वोट देने के अधिकार का विचार फैला। 1902 में आस्ट्रेलिया, 1920 में अमेरिका, 1928 में इंगलैण्ड और उसके बाद फ्रांस, भारत, इटली, जापान आदि देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किये गये संघर्षों एवं समानता के विचार के कारण वर्तमान समय में भारत में सभी औरतें व मर्दों, अमीर या गरीब तथा अभिवंचित वर्ग के लोग मत दे सकते हैं। इनमें कोई विभेद नहीं है। इसी अधिकार को **सार्वभौम वयस्क मताधिकार** कहा जाता है।

लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व

लोकतांत्रिक सरकार तीन आधारभूत सिद्धान्तों पर काम करती है। लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय इसके प्रमुख सिद्धान्त हैं।

भागीदारी

आस्था के घर में आज सुबह काफी चहल–पहल देख उसके पड़ोसी ने उसके पिता से पूछा, " क्या आज कोई खास बात है? तो शर्मा जी ने कहा – " मतदान करने क्या आप भी चल रहे हैं ? पड़ोसी ने उत्तर दिया – नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि कुछ बदलेगा। " दोनों में खूब बहस हुई।

प्रश्न– दोनों में क्या बहस हुई होगी ? अभिनय द्वारा दर्शाएँ।

चुनाव में वोट दे कर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मान कर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और माँगों को ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि पाँच वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार पाँच वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उन्हें चुनें। चुनाव का समय

लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है।

वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं।

यदि सरकार जनता के कार्यों को सही रूप से नहीं करती हो तो जनता –

धरना एवं आंदोलन करते लोग

पत्र लिखना, ज्ञापन देना, धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, कोर्ट में केस करना, सत्याग्रह आदि तरीकों का उपयोग करती है। इन माध्यमों द्वारा वे अपनी बात सरकार तक पहुँचाती है। इस तरह लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा में भागीदार रहती है।

प्रश्न – शिक्षक की मदद से ऊपर दिए गए तरीकों के कुछ उदाहरण ढूँढ़ें और चर्चा करें कि उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है?

विवादों का समाधान :

हमारा देश लोकतांत्रिक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दूसरों के हितों का ख्याल न रखना, आपसी समझ न होना, किसी और की भाषा या क्षेत्र को नीचे देखना आदि। कई बार लोग सरकार के निर्णयों से असहमत होते हैं तथा इससे भी विवाद उत्पन्न होता है। सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे ताकि वह हिंसा का रूप नहीं ले। आइए, अपने समाज के कुछ विवादों पर नजर डालें तथा देखें कि सरकार इसके समाधान में कैसे भूमिका निभाती है।

विवादों के समाधान के लिए थाने पहुँचे लोग

ग्राम पंचायत नवहट्टा सहरसा में रामप्रवेश रहते हैं। बगल के गाँव के अब्दुल उनकी फसल को काटकर ले गये। अगले दिन रामप्रवेश को पता लगा तो उसने अब्दुल के घर जाकर बात की। अब्दुल ने उस जमीन को अपनी जमीन बतायी। इस कारण विवाद और गहरा गया। लौट कर रामप्रवेश ने सारी बातें ग्राम प्रधान को बतायीं। वहाँ घनश्याम भी मौजूद था। उसने बिना तथ्य को समझे गाँव वालों को भड़का दिया, जिससे सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगा। गाँव के लोग एकत्रित होकर स्थानीय थाना को इसकी

सूचना दी। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए, थानाप्रभारी ग्राम पंचायत के मुखिया से विचार–विमर्श कर विवाद को सुलझाने के लिए तत्काल सभी लोगों को घर जाने को कहा तथा दोनों पक्षों को अगले दिन आने का समय निर्धारित किया। इस बीच थाना प्रभारी ने कर्मचारी को बुलवाया तथा पता किया कि यह ज़मीन किसकी है। कर्मचारी ने बतलाया कि यह जमीन अब्दुल की है। अगले दिन दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद का समाधान शान्तिपूर्ण तरीके से किया गया तथा घनश्याम को़ कड़ी हिदायत दी कि वह अफवाह न फैलायें।

इसी तरह कई स्तरों पर विवाद होता है ग्रामीण या राष्ट्रीय, कृष्णा–कावेरी नदी विवाद, दो राज्यों, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, सतलुज नदी विवाद, हरियाणा और पंजाब के बीच, किसानों की उपजाऊ भूमि सरकार द्वारा लेकर उद्योग स्थापित करने के कारण उत्पन्न विवाद, बिहारी छा़त्रों एवं लोगों के साथ अन्य प्रान्तों में हुए गलत व्यवहार से उत्पन्न विवाद।

प्रश्न– अपने अध्यापक की सहायता से ऊपर लिखित विवादों के पीछे क्या कारण थे समझें और उसके समाधान के रास्ते क्या हैं? चर्चा करें।

समानता और न्याय :

हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं लेकिन हमें पूरी स्वतंत्रता तब मिलेगी जब सभी को जीने के लिए समान अवसर प्राप्त हों। असमानता समाज द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे छुआ–छूत, लिंग–भेद , आर्थिक अवसर की असमानता आदि। आमतौर पर घरों में लड़के और लड़कियों में भी विभेद किया जाता है। लड़कों को परिवार में अधिक अवसर दिया जाता है। शादी–विवाह, भोज–भण्डारा में खास समुदाय एवं वर्ग के व्यक्तियों को अलग बैठा कर खिलाया जाता है। धीरे–धीरे समाज में जागरूकता आ रही है और ऐसी घटनाएँ कम होती जा रही है।

समानता बिना न्याय संभव नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार समानता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध होती है। सरकार द्वारा कानून के माध्यम से महिलाओं को विशेष दर्जा देकर समान अवसर प्रदान किया गया है, जैसे–पैतृक धन–सम्पत्ति में समान बँटवारा । लड़कों को समाज में अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। यह गलत

एवं अन्यायपूर्ण है। इस पर सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों की शिक्षा हेतु सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों में फीस खत्म कर दी है। उनके लिए पोशाक योजना आरंभ की गई है। उसी तरह महादलित बच्चे – बच्चियों पर भी सरकार ने विशेष ध्यान रखते हुए पोशाक के साथ–साथ छात्रवृति योजना आरंभ किया है ताकि उन्हें भी समान अवसर मिल सके।

पोशाक की राशि प्राप्त करती छात्राएँ

सरकार नियम, कायदे बनाती है। कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति को क्षति या नुकसान पहुँचाता है, उसकी चीजें चोरी करता है, तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत उसे न्यायलय की प्रक्रिया द्वारा दण्डित किया जा सकता है। सरकार को भी अपने बनाये नियमों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए यदि लोगों के साथ जबरदस्ती होती है या उनका रोज़गार या ज़मीन छीनी जाती है तो उन्हें यह अधिकार है कि वह सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं।

लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व की अवधारणाओं को प्रश्रय देती है।

अभ्यास

1. रिक्त स्थानों को भरें ।

(i) सरकार राज्य का ———————————रूप है।

(ii) राज्य अपना कार्य———————————के माध्यम से करती है।

(iii) सरकार के ——————————अंग है।

(iv) कानून————————————बनाती है।

(v) राजतंत्र में शक्ति————————————के हाथ में होता है।

2. सरकार से आप क्या समझते हैं?

3. लोकतांत्रिक सरकार क्या है?

4. लोकतांत्रिक सरकार में कौन–कौन तत्व हैं? व्याख्या करें?

5. नीचे दिए गए प्रश्न आप के विद्यालय से संबंधित हैं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास शिक्षक अथवा अभिभावक के साथ करें।

(I) आपके विद्यालय भवन बनाने के लिए राशि कहाँ से प्राप्त हुई?

(II) मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कौन करता है?

(III) आपके विद्यालय तथा गाँव या मोहल्ले के बीच की सड़क किसने बनवायी है?

(IV) आपको मिलने वाली पुस्तकों की व्यवस्था कौन करता है?

स्थानीय सरकार

ग्राम पंचायत

आज नवहट्टा पूर्वी में विभिन्न टोलों और गाँवों के लोग जमा हो रहे हैं। वे लोग अपनी टोलों के समस्याओं पर विचार–विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे आम सभा के रूप में जाना जाता है। गाँव के एक व्यक्ति ने अपने टोले में सड़क बनवाने के बारे में आम सभा में बात उठाई। एक दूसरे व्यक्ति ने अपने यहाँ पेयजल सम्बन्धी समस्या को जोरदार ढंग से उठाते हुए कहा कि मेरे टोले की आबादी 300 की है जिसमें महादलितों एवं गरीब परिवार की संख्या सबसे अधिक है। फिर भी वहाँ एक ही सार्वजनिक चापाकल है जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं। इससे काफी कठिनाई होती है। साथ ही वह चापाकल कभी–कभी खराब हो जाता है, तब तो कठिनाई और अधिक बढ़ जाती है। इस आम सभा में मुखिया (ग्राम प्रधान) भी बैठे हुए थे। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं।

ग्राम पंचायत के लोग आम सभा करते हुए

गाँव के व्यक्ति अपना चापाकल क्यों नहीं ठीक करवा लेते, जबकि उसका उपयोग पूरा टोला करता है। जरा सोचिए सड़क हो या चापाकल, कुआँ हो या नाली ये किसी एक व्यक्ति या परिवार का नहीं होता। गाँवों, टोलों या मुहल्लों में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी खास व्यक्ति की नहीं होती है। इनका उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं। जिस कारण ऐसे चीज़ों को सार्वजनिक कहते हैं।

सार्वजनिक चीज़ों की देख–भाल कौन करेगा? ये जब खराब हो जाएगी तो कौन ठीक करवायेगा? इनकी सुरक्षा कौन करेगा? कोई व्यक्ति जबरदस्ती करे तो इस समस्या को कौन सुलझाएगा? चूँकि ये किसी खास व्यक्ति की नहीं होती, इसलिए इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की कल्पना की गई है।

हम इस पाठ में ग्राम पंचायत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।

मतदाता सूची :

एक दिन संजना के घर एक व्यक्ति पहुँचा, जिसने अपना परिचय बी.एल.ओ. (Booth Level Officer) के रूप में दिया। वह मतदाता सूची (वोटरलिस्ट) में लोगों का नाम जोड़ने आया था। उसने बताया कि दो –तीन महीने बाद पंचायत का चुनाव होगा, इसलिए मतदाता सूची बनाई जा रही है। वह कुछ बोलती, उससे पहले ही बी.एल.ओ. ने घर के सदस्यों के बारे में जानकारी (नाम एवं उम्र) मांगी।

संजना : ''आप उनके नाम एवं उम्र क्यों जानना चाहते हैं?''

बी.एल.ओ.: ''मैंने बताया ना कि ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए इस पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नाम लिखने हैं। इन नामों की सूची को मतदाता सूची कहा जाता है।''

संजना : ''सबसे पहले मेरा नाम एवं उसके बाद मेरे छोटे भाई 'एतश' का नाम लिखिए।''

बी.एल.ओ.: ''नही, अभी आप दोनों वोट नहीं दे सकते। क्योंकि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के महिला एवं पुरुष ही वोट दे सकते हैं।''

संजना कुछ सोचने लगी तभी उसकी माताजी आ गयी। तब उन्होंने अपना नाम एवं उम्र तथा अपनी पति का नाम एवं उम्र बतलाया। बी.एल.ओ. ने दोनों का नाम दर्ज कर लिया।

प्रश्नः

1. संजना की बहन जिसकी उम्र 22 वर्ष है, शादी के बाद पास के गाँव में रहती है। क्या उसका नाम मतदाता सूची में लिखा जाएगा?

2. मतदाता सूची की आवश्यकता क्यों है?

ग्राम पंचायत का क्षेत्र

संजनाः ''क्या हर गाँव में ग्राम पंचायत होती है?''

बी.एल.लो.: ''नहीं, हमारे बिहार राज्य में पंचायत की स्थापना गाँव की आबादी के आधार पर की गई है। ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की जनसंख्या कम से कम 7000 या उससे अधिक हो। इसलिए कहीं–कहीं कई छोटे गाँवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनायी जाती है।

एक ग्राम पंचायत एक गाँव या एक से अधिक गाँवों को मिलाकर बनती है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसको वार्ड सदस्य कहा जाता है। इसी प्रकार पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति मिलकर मुखिया का चुनाव करते हैं, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। इसका कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है। वार्ड सदस्य अपने में से एक को उप–मुखिया चुनते हैं जो मुखिया के नहीं रहने पर कार्य करता है।

संजनाः ''अगर सभी वार्ड सदस्य एक ही टोले/मोहल्ले के हो जाएँ, तो दूसरे मोहल्ले/टोले के बारे में कौन ध्यान देगा?''

बी.एल.ओ.: 'नहीं ऐसा न हो इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों को क्षेत्रों में विभक्त (बाँट) किया जाता है।

ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। उसे पंचायत सचिव कहा जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना एवं चर्चा में उठे बिन्दुओं को एक रजिस्टर पर अंकित करना तथा उनका रिकार्ड रखना होता है।

आरक्षण व्यवस्था

बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एक अलग तरह की आरक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके साथ–साथ महिलाओं के लिए सभी पदों की आधी सीटें (पचास प्रतिशत्) आरक्षित की गई है।

प्रश्नः

1. **आरक्षण व्यवस्था क्यों आवश्यक है? कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा करें।**
2. **पंचायत के क्षेत्र को वार्डों में क्यों बाँटा जाता है?**
3. **मुखिया का चुनाव कैसे होता है?**

ग्राम पंचायत के कार्य :

ग्राम पंचायत नवहट्टा की बैठक हो रही थी। पंचायत के काम के बारे में चर्चा करने के लिए मुखिया एवं सभी वार्ड सदस्य उपस्थित थे। एक सदस्य ने कहा कि उसके वार्ड में 150 रोज़गार के कार्ड दिए जा चुके हैं, परंतु उन्हें कोई काम करने का मौका नहीं मिला। यदि रोज़गार का प्रबंध नहीं किया गया, तो पलायन की स्थिति और गंभीर हो जाएगी। सभी ने मिलकर तय किया कि तालाब के काम पर इस वार्ड के लोगों को पहले रखा जाएगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत की बैठक में विकास के काम पर चर्चा, समस्याएँ सुलझाना और व्यवस्था बनाने के निर्णय लिए जाते हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य किये जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख निम्न है :

- ग्रामीण विकास योजनाओं का ग्राम सभा द्वारा चर्चा के बाद क्रियान्वयन करना।
- कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मछली पालन आदि को बढ़ावा देना।

- ग्रामीण आवास (इन्दिरा आवास) पेयजल, सड़क, घाट, बिजली की व्यवस्था, बाजार एवं मेला इत्यादि का समुचित प्रबंध करना।

सड़क निर्माण

- स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण की योजनाओं में मदद करना।
- कुआँ, तालाबों, पोखरों आदि का निर्माण।
- सहकारिता, कृषि भंडारण तथा बिक्री की व्यवस्था करना

कुआँ निर्माण

ग्राम पंचायत के आय के साधन :

ग्राम पंचायत के आय के दो प्रमुख स्रोत हैं। एक कर के रूप में, जो वह खुद लगाती है और दूसरा अनुदान के रूप में, जो सरकार द्वारा उसे मिलता है। उदाहरण के लिए पंचायत अपने क्षेत्र की दुकानदारों से कर वसूल करती है। यह इसका खुद का स्रोत है और पंचायत के किसी भी जरूरी काम पर इसे खर्च किया जा सकता है। ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम के लिए या आवास योजना के लिए पंचायत को सरकार द्वारा पैसे प्राप्त होते हैं। यह पैसे उसी योजना के अनुसार खर्च किए जा सकते हैं।

ग्राम कचहरी

हमारे देश में छह लाख से भी अधिक गाँव हैं। उनकी समस्याओं को सुलझाना आसान काम नहीं है। गाँव में भी बेहतर व्यवस्था के लिए एक प्रशासन होता है। आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए।

पुलिस थाने के कार्य :

रामजी, राजपुर गाँव के रहने वाले हैं। रामजी अपने खेत में एक कमरा बनवाना चाहता था। चहारदीवारी बनवाने के लिए कामगारों को बुलाकर गड्ढा खोदवाने लगा। तभी प्रकाश मोहन ने आकर उसे मना किया कि आप अपनी ही जमीन में चहारदीवारी बनाओ। रामजी इस बात से सहमत नहीं हुआ। वह मजदूरों को आगे काम बढ़ाने को बोला। प्रकाश इस पर नाराज होकर झगड़ा करने पर उतारू हो गया। रामजी पूर्व में ग्राम पंचायत का मुखिया था, अतः उसने अपने धन–बल के द्वारा जबरदस्ती चहारदीवारी का निर्माण करवा लिया और प्रकाश के साथ मारपीट भी की।

प्रकाश मोहन के भाई श्याम, जो पटना में व्यवसाय करते थे, घर आये तो सारी घटनाओं को सुने। श्याम ने प्रकाश मोहन को नजदीक के पुलिस थाने में मामले की रपट लिखवाने के लिए तैयार किया। प्रकाश मोहन के पड़ोसी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि ऐसा करना पैसा एवं समय की बर्बादी है। श्याम सबको समझाकर रपट लिखवाने हेतु मोहन को लेकर थाने चल पड़ा। प्रकाश ने श्याम से पूछा कि क्या थाने के कार्यक्षेत्र में हमारा गाँव आता है? श्याम–हां, प्रत्येक पुलिस थाना का एक क्षेत्र होता है। जिसमें हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि का केस (रपट) दर्ज करके, थाने का प्रशासन, पूछताछ,

जाँच–पड़ताल तथा कार्रवाई करता है। हमारा गाँव इस थाने के क्षेत्र में आता है।

प्रकाश मोहन तथा श्याम ने थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। थानेदार ने उन्हें उनके गाँव पहुंचकर घटना की जाँच–पड़ताल एवं कानून सम्मत कार्रवाई करने का वायदा किया।

चर्चा करें

- क्या पुलिस थाना में सभी लोग अपनी समस्या को लेकर जा सकते हैं? शिक्षक से चर्चा कीजिए।
- क्या इस विवाद को सुलझाने का और भी कोई तरीका हो सकता था?
- ग्राम कचहरी क्या है? यह कैसे कार्य करती है?
- पुलिस के क्या–क्या काम हैं? सूची तैयार कीजिए।

हलका कर्मचारी का काम :

आपने रामजी और प्रकाश मोहन के झगड़ा को जाना। क्या पुलिस थाना को छोड़कर भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है? क्या कोई सभी लोगों के जमीन का अभिलेख रखता है? उनको रखने वाला कौन होता है?

गाँव के जमीन को नापना और उसका अभिलेख रखना हलका कर्मचारी का काम होता है। इसको पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो भी कहते हैं। हमारे यहां जमीन का लेखा–जोखा रखने वाले कर्मचारी को हलका कर्मचारी कहते हैं। हलका कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वह कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है। नक्शे के आधार पर बने खसरे पंजी के अनुसार वह जमीन का रिकार्ड रखता है।

हलका कर्मचारी के पास खेत नापने हेतु लोहे की लंबी जंजीर होती है। इसे जरीब कहते हैं। रामजी तथा प्रकाश के झगड़े को हलका कर्मचारी शांतिपूर्वक बिना मुकदमे के सुलझा सकता था। कर्मचारी नक्शे के आधार पर जमीन को नापकर रामजी और प्रकाश के घर की जमीन को देख लेता, जिससे पता चल जाता कि कौन किसके तरफ की जमीन पर बढ़ रहा है।

इसको निम्न उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है :

नं०	क्षेत्र हेक्टेयर में	जमीन मालिक का नाम, पिता / पति का नाम और पता	यदि बटाई पर है ताक दूसरे किसान का नाम	इस साल जोत की गई जमीन			परती जमीन	सुविधाएँ
				फसल	क्षेत्र	अन्य फसल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.15	प्रकाश मोहन, पिता राम दुखी	नहीं	धान	0.15			
2	0.30	राम जी पिता सेवक जी	नहीं	धान	0.25	0.05		कुआँ–1
3	7.00	बिहार सरकार की जमीन	नहीं	–	–		7.00	चारागाह

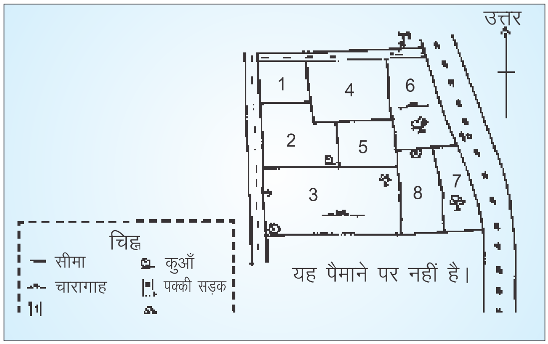

स्थिति को देखकर बतावें:

(क) प्रकाश मोहन के घर के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है ?

(ख) रामजी और प्रकाश मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए।

(ग) प्लॉट संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है ?

(घ) प्लॉट संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या–क्या जानकारी हमें मिल सकती है ?

हलका कर्मचारी किसानों से भूमि कर लेकर जमा करवाता है तथा सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। वह सर्वेक्षण के द्वारा यह काम करता है।

किसान के फसलों का विवरण, कुआँ, नलकूप आदि का लेखा–जोखा भी राजस्व विभाग का काम है। इस काम का अवलोकन कई लोग करते हैं। बिहार राज्य कई जिलों में बँटा हुआ है। जमीन का लेखा–जोखा रखने हेतु जिलों को भी प्रखण्ड और अनुमण्डल में बाँटा गया है। जिला में सबसे ऊपर जिलाधिकारी, उसके बाद उप समाहर्त्ता (भूमि सुधार), अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक और अंत में हलका कर्मचारी होता है।

ये सभी अपने स्तर पर काम का निरीक्षण करते हैं और व्यवस्था रखते हैं कि लेखा पंजी सही हो। वे किसानों को उनकी जमीन की नकल भी देते हैं। जनता के आवश्यकता अनुरूप जाति, आय प्रमाण–पत्र आदि भी जारी करते हैं। अंचलाधिकारी के कार्यालय में जमीन विवाद को सुलझाया जाता है।

एक नया कानून
(हिंदू अधिनियम धारा, 2005)

जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बाँट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा।

एक बिटिया की चाह

विरासत में मिला यह घर
पापा को अपने पिता से
यही घर मिलेगा
मेरे भैया को मेरे पिता से
पर मैं और मेरी माँ,
हमारा क्या ?
बता दिया गया है मुझे,
पिता के घर में हिस्से की बात
औरतें नहीं किया करतीं
लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना
बिलकुल मेरा अपना
नहीं चाहिए
दहेज में रेशम और सोना।

जया की कहानी

जया एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गाँव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद जया अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बँटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ–साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। जया की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद् से खेती का काम सँभालती है। जया भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है।

सरकार के सार्वजनिक कार्य जो लोगों के लिए होते हैं, वे कई विभागों के द्वारा चलाये जाते हैं, जैसे– दुग्ध उत्पादक समिति, जन–वितरण प्रणाली, बैंक, बीज एवं खाद हेतु प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स), डाक बंगला, आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि।

अपने इलाके की सार्वजनिक सेवाओं के बारे में ये तालिका भरें–

सार्वजनिक सेवा	उद्‌देश्य	नियम	समस्याएं	सुधार के तरीके

नगरों का स्थानीय शासन

शहर में भी जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम एवं छोटे शहरों के लिए नगर परिषद् (नगर पालिका) तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई है। बिहार राज्य में कोई महानगर नहीं है। हमारे यहां केवल नगर निगम, नगर परिषद् (नगर पालिका) तथा नगर पंचायत ही है। नगर परिषद् मध्यम स्तर के शहरों, जिनकी जनसंख्या चालीस हज़ार से दो लाख के बीच होती है वहां स्थापना की जाती है। उसी प्रकार छोटे शहर जो गाँव से शहर का रूप लेने लगते हैं वहां नगर पंचायत बनाई जाती है। शहर बनने के लिए यह माना जाता है कि अधिकांश लोग अपनी जीविका कृषि से नहीं बल्कि व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि से चलाते हैं। शहर में काम करने वाले लोगों के बारे में आपने पहले पढ़ा है।

बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। बिहार के अन्य शहरों मुज़फ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर में भी नगर निगम की स्थापना की गई है।

प्रश्न –

1. **शहर कैसे बनते हैं? आसपास के उदाहरण के साथ चर्चा करें।**
2. **नगर पंचायत और नगर निगम में क्या अंतर है? पता करें।**

नगर निगम / निगम परिषद् :

आप जानते हैं कि पटना में नगर निगम है। नगर निगम को बेहतर रूप में समझने के लिए हम लोग पटना नगर निगम के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश काल से ही पटना सिटी – नगर पालिका एवं पटना प्रशासकीय समिति कार्यरत थी।

नगर को आबादी के अनुसार कई भागों में बाँटा गया है जिसे वार्ड कहा जाता है। पटना नगर को 72 क्षेत्रों (वार्डों) में बाँटा गया है। सभी वार्डों से एक–एक व्यक्ति चुनकर आते हैं, वे वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाते हैं। सभी पार्षदों का चुनाव पाँच वर्षों के लिए होता है। निगम परिषद् अपने निर्वाचित सदस्यों में से ही एक महापौर एवं एक उपमहापौर चुनते हैं।

महापौर निगम परिषद् का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। निगम परिषद् की बैठक प्रत्येक माह होती है।

निगम परिषद् के काम करने के लिए अलग–अलग समितियाँ बनाई जाती हैं। जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक निर्माण, उद्यान आदि। नगर निगम के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है, जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त, नगर निगम का मुख्य प्रशासक है। निगम परिषद् एवं समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का काम है। उदाहरण के लिए पटना नगर निगम के कार्य इस प्रकार हैं–

1. जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य। जैसे–पानी की व्यवस्था।
2. सार्वजनिक सुविधा के कार्य। जैसे–सड़क साफ करना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना एवं नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था आदि।
3. विकास संबंधी कार्य। जैसे–सड़क बनाना, नालियां खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था एवं वाहन ठहराव (पड़ाव) की व्यवस्था करना आदि।

4. शिक्षा संबंधी कार्य।

वृक्षारोपण

5. प्रशासनिक कार्य। जैसे–जन्म–मृत्यु पंजीयन आदि के कार्य।

6. आपातकालीन कार्य। जैसे–आग लगने पर बुझाना, बाढ़ आने पर रोकने के प्रयास करना ।

7. पर्यावरण सुरक्षा। जैसे–वृक्षारोपण एवं इसकी देखभाल करना।

8. झुग्गी–झोपड़ी, मलिन बस्ती का विकास कार्य आदि।

9. विविध कार्य। जैसे–ज़मीन एवं मकान का सर्वेक्षण एवं नक्शा बनाना, जनगणना, वधशाला (बूचड़खाना) की व्यवस्था आदि।

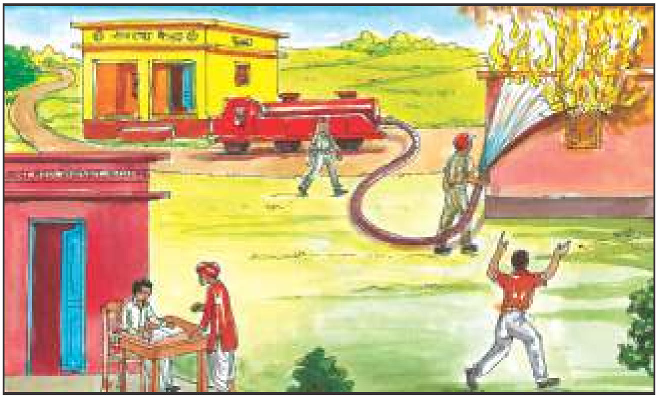

इसी प्रकार अन्य शहरों में भी नगर परिषद् या नगर पंचायत बनाकर काम किया जाता है।

प्रश्न –

1. पार्षद को चुनाव द्वारा क्यों चुना जाता है?
2. नगर निगम के पार्षद और कर्मचारी के काम में क्या अंतर है?
3. अलग–अलग समितियाँ बनाने की ज़रूरत क्यों है?
4. क्या इन परिषदों से स्थानीय समस्याओं का हल हो सकता है? अपने इलाके के उदाहरण से समझाएँ।
5. ग्राम एवं नगर दोनों जगह वार्ड बनाये गए हैं। ऐसा क्यों? चर्चा करें।

सूरत की कहानी

1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। उस वक्त सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों एवं होटलों का कूड़ा–कचरा पास की नालियों एवं सड़कों पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा–कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गयी थी।

प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। परिणामस्वरूप सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में भारत के साफ शहरों में सूरत का नाम आता है।

प्रश्न–

आपके आसपास के शहरों में सफाई की सुविधा कैसी है? आपस में चर्चा करें।

आय के साधन :

इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग–अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग सरकार द्वारा अनुदान से आता है। लोग जो **'कर'** (Tax) देते हैं उसी से सरकार इस राशि को उपलब्ध करवाती है।

कुछ **'कर'** ऐसे होते हैं जो नगर निगम खुद वसूलती है जैसे– होल्डिंग कर (गृह–कर, जल–कर, मल–कर आदि), पेशा–कर इत्यादि। इसके अलावा नगर निगम अपनी दुकानों से किराया भी वसूलती है। अतः नगर निगम के आय के साधन इस प्रकार हैं–

1. मकान एवं दुकान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त कर।
2. सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान।

3. अन्य विभिन्न तरीकों से लिए जाने वाले शुल्क। जैसे–होर्डिंग, मोबाईल टॉवर आदि पर लगाया जाने वाले शुल्क।

4. नगर निगम कर्ज़ भी ले सकती है।

प्रश्न –

1. **कर की आवश्यकता क्यों है?**
2. **पता करें कि नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत को लोगों द्वारा कर के रूप में आय उपलब्ध हो पाता है या नहीं?**

अभ्यास

1. **अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किये गये किसी एक कार्य का उदाहरण दीजिये और उसके बारे में निम्न बातें पता कीजिए।**
   (i) यह काम क्यों किया गया?
   (ii) पैसा कहां से आया?
   (iii) काम पूरा हुआ या नहीं?
2. **पंचायत सचिव कौन होता है?पंचायत सचिव और ग्राम–पंचायत के प्रमुख के कार्यों में क्या अन्तर हैं?**
3. **गाँव में भूमि विवाद है लेकिन आपस में झगड़ा नहीं हो। इसके लिए इस विवाद को कैसे सुलझायेंगे? इसमें हलका कर्मचारी की क्या भूमिका होगी?**

4. 'एक बिटिया की चाह' कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? क्यों?

5. नगर परिषद् एवं नगर पंचायत में क्या अन्तर है?

6. नगर निगम के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है और उसके कार्य क्या है?

8. एक ग्रामीण क्षेत्र है, दूसरा नगरीय क्षेत्र है, इनको आप किन–किन रूपों में अन्तर करते हैं? शिक्षक के साथ चर्चा करें।

9. ग्राम पंचायत और नगर प्रशासन का मुख्य कार्य क्या–क्या है? अपने अनुभव के आधार पर दो–दो उदाहरण दे कर समझायें।

10. ग्राम पंचायत और नगर निगम के आय के कौन–कौन से साधन हैं, सूची बनायें।